मंजू सिंह, सदरय सचिव (मण्डलीय समिति) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में.

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र—2, समुदाय केन्द्र प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 08-06-2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1916 / 15-7-9(299) / 2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 08-06-2011 को मण्डलायुक्त, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती हैं, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विमाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा। (8)

उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को (9) अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी

उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई (10) परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2— विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क (मेन्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन, मेनेजमेन्ट शुल्क, विकास शुल्क मदों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी क्षमय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार / मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय.

(मंजू सिंह) संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव मेरठ मण्डल, मेरठ।

<u>पु०सं0–1996 / मं०स० (57) / 2011 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
- प्रबन्धक, जें0कें0जीं0 स्कूल, डीं0 ब्लॉक मेन रोड़ नन्दग्राम (गाजियाबाद)।

(मंजू सिंह) संयुक्त शिक्षा निर्देशक एवं सदस्य सचिव प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी. गाजियाबाद।

प्रेष्य.

प्रबन्धक.

जे०के०जी० स्कूल, डी० ब्लॉक नन्दग्राम,

गाजियाबाद । पत्रांकः / शि०स० / मान्यता / 8453 - 55

/2020-21

दिनांकः **०**८/3/202)

विषय :- जूनियर स्तर की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में। ाहोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2020 एवं इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से जे0के0जी0 स्कूल, डी0 ब्लॉक नन्दग्राम, गाजियाबाद को कक्षा-06 से कक्षा-08 तक हेतु दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 24.02.2021 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति/अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हैं:--

विद्यालय संचालितं करने वाली संस्था सोसायटी/रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत

विद्यालय किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं 2. किया जायेगा।

मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन करेगा।

भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव व मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियाँ तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।

विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड, एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/ निकाय का प्रतीक चिन्ह एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

10. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

11. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/ मण्डलीय/ राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना माँगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. शिक्षा का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अर्न्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा तथा हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी।

13. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

4. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धातों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

15. विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

16. मान्यता के पश्चात विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार

17. मान्यता प्राप्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी

मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वहीं होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। कार्मिकों का वेतन मुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू०हा०स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली 19: मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम तथा पाठ्यपुस्तकों

20. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुमाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

21. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं अनुसूचित में

विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

22. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।

23. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व्यय इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिये पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शल्क में कोई बुद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब बृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:--

शिक्षण शुल्क, मंहगाई शुल्क, विकास शुल्क, बिजली, पानी आदि, कीडा शुल्क, परीक्षा/मूल्यांकन शुल्क, विद्यालय समारोह / उत्सव शुल्क, विशेष विषयों की शिक्षा जैसे दृष्ट्यूटर, संगीत आदि। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा

वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

24. एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आराग्टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

25. जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

> (ब्रजभूषण चिधिरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी *%र्मा*जियाबाद।

भवदीय.

**ं0सं0 / मान्यता /** /2020-21 तद्दिनांक— प्रतिलिपि- निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक मेरठ, मण्डल मेरठ।

2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद ।

कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

## FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER IN RESPECT OF SCHOOLS ALREADY AFFILIATED WITH THE BOARD AND SEEKING EXTENSION/UPGRADATION OF AFFILIATION WITH THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

## PART-A

GEN	ERAL INFORMATION	<del>-</del> "		
1	Affiliation Number allotted by CBSE to the school:	2131372		
2	Name of the School as per affiliation letter of CBSE:	J.K.G SCHOOL		
3	Address of the School:	D BLOCK NANDGRAM		
4	Standard/level/class up to which the school is running:	l To XII		
5	is the name and address of school in CBSE affiliation letter and State NOC/Recognition/U-DISE same exactly the same	YES		
6	U-DISE code allotted to the school:	09090102903		
7	Name and address of the Trust/Society/ Company(under section-8) running the School as on date	J.K. G Happy School Prabandi Samiti 31-03-1982		
8	Is the Trust/Society/ Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	YES 31-03-2021		
9	Purpose of present application:	Extension		
10	Location of school	In the municipal limits of city having population more than 15 Lakhs		
11	Has the school obtained Recognition Certificate from the State Government from class-1 to 8 <sup>th</sup> ?	YES		
12	Number of Recognition Certificate from class-1 to 8 <sup>th</sup> and date of issue:	Class 1 To V 8108 -8109 dt 24-02-2021		
I		Class VI to VIII 8453-55 dt. 08-03-2021		
13	Is the School affiliated to any other board besides CBSE for Class-X or XII examinations?	NO		
INFORMATION REGARDING LAND DETAILS AND OWNERSHIP				
14	Is the school situated on a single contiguous plot of land bounded on all sides by a Pucca Boundary Wall?	YES		

(Signature Principal)

Principal
J.K.G. SCHOOL
D-Block, Nandgram
Ghr 20

(Signature of D.E.O.)




## APPENDIX III

15	Are both the School and the Play Ground situal compound bounded by a single continuous Bosides?	ated in a single oundary Wall on all	YES
16	Total area (in square meters) in respect of 13 which the school is situated:	and 14 above on	4806,16 sq mtr
17	The land is in the possession of the school/ Trust/Society/Company legally by way of:		Sale deed
18	Name of the Owner/Lessee of the land in resp	pect of point-16 above:	J.K.G Happy School Prabandl Samiti
19	In case the land is in the possession of the society/school by way of lease as per State Government norms, the period of the lease:		From 29-03-2008 to total 90 years
20	Is any public road, canal or thorough-fare, HT line etc. passing through the land in respect of point-15 above?		NO
INFOF	RMATION REGARDING ESSENTIAL SAFETY	REQUIREMENTS	
20	Has the school been inspected by the Government engineer and the school building been found structurally safe for running a school?		YES
20(a)	If yes the date of last inspection:		28-01-2021
21	Has the school been inspected by the officer of Government Fire Department and the school building been declared safe for school from the point of view of fire safety?		YES
21(a)	If yes the date of last inspection:		25-05-2020
22	Has the school compound been checked by the public health department and the health and sanitary conditions been found to besatisfactory and the water has been found safe for drinking?		YES DMO.ID SP/2020 dt. 27-10-2020
22(a)	If yes the date of last inspection:		15-10-2020
INFOR	RMATION REGARDING THE STAFF		
23	Does the school have well defined service rules and conditions for its employees as per prevalent norms of appropriate Government?		YES
24	Is the school paying salary to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?		YES
25	Is the salary to the teachers and other employees of the school being paid through the bank by mode of electronic clearing?		YES
	(Payment by cheque or cash to the individuals	s is not allowed)	·
26	Is the school paying EPF to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?		YES
	For J.K.G. SCHOOL Signature with Stamp Manager/Principal (of School Manager)	Signature w (of School	•

(Signature Principal)

(Signature of D.E.O.)





	PART-B		
	(This part is to be filled-up by the District Education Officer after verify documents and certificates in original and visiting the sci		
	File No		
1	This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.		
2	Is the school recommended for extension/upgradation of affiliation?	YES Extension	
		1.	
	R	जेला विद्यालय गिनसिक्क गाजियाबाद 🕰 Signature	
	(Name and DISTRICT EDUCATION OFFICER FROM EDUCATION ADMINISTRATE	d Stamp of Issuing DEO) VEQUIVALENT OFFICER	
	I AD I CHIMING INGI EURO I INGI	NAME OF DISTRICT	